implementation in the country from Kharif 2020 season. On the demand of farmers, farmers' organizations and States, the scheme has been made voluntary for all farmers, which will help farmers to take decision keeping in view the risk profile of their crops whether to insure their crops or not. Sharing pattern of premium subsidy has been changed from 50:50 to 90:10 between Central and State Government for North Eastern States due to special nature of these States and to increase in its coverage. Further, crop insurance is a risk mitigation tool and claims, if any, are paid to those farmers only who enroll themselves under the scheme by paying their applicable share of premium for notified crops in notified areas as per provisions of the scheme. For remaining States subsidy sharing pattern remains as 50:50.

Revamping PMFBY and WBCIS

*292. SHRI R. VAITHILINGAM: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has revamped the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) and restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS);

(b) whether it is also a fact that Government has slashed its share of premium from fifty per cent to twenty five per cent in irrigated areas and to thirty per cent in unirrigated areas;

(c) whether it is also a fact that it has been made mandatory for all farmers to enrol in the above two schemes; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI NARENDRA SINGH TOMAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) After detailed discussions with stakeholders, Government has recently approved the revamping of the Fradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) and Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) for implementation from Kharif 2020 season.

(b) No, Sir. However, to address the issues related to high premium rate for few crops/areas due to adverse selection, the requisite Central Government share of premium subsidy (90:10 for North Eastern States and 50:50 for remaining States) has been provided for areas/crops having gross premium rate upto 25% for irrigated areas/ crops and upto 30% for un-irrigated areas/crops.

(c) and (d) No, Sir. The enrollment under PMFBY and RWBCIS has been made voluntary for all farmers. Changes made in the provisions/parameters of these schemes are detailed below:–

- ➢ To address the demand of farmers, the scheme has been made voluntary for all farmers. However, there is no change in farmers' share of premium.
- ➢ The premium subsidy sharing pattern between Centre and North Eastern States has been changed from 50:50 to 90:10. This has been done to allow more States to notify the scheme and existing States to notify more crops and areas to facilitate greater coverage of farmers under the scheme. For remaining States, subsidy sharing pattern will continue as 50:50.
- ➢ To address the issue of high premium rate for few crops/areas due to adverse selection, the requisite central share of premium subsidy (90:10 for North Eastern States and 50:50 for remaining States) will be provided for areas/ crops having gross premium rate upto 25% for irrigated and upto 30% for un-irrigated areas/crops. Besides, alternate risk mitigation measures will be explored for these areas/crops.
- ➢ Insurance companies will now be selected by the States for 3 years in a go instead of one year thereby increasing their commitment and accountability to the farmers.
- ➢ Option has been given to the States to choose the notional value of average yield or the Scale of Finance as sum insured in the interest of the farming community,
- ➢ In view of the demand of many states, option has been given to states to choose additional risk covers besides shortfall in yield-based cover depending upon the local weather challenges and requirements of the farmers.

- The States delaying the release of subsidy beyond stipulated timelines can not participate in upcoming seasons.
- Two-step process of crop yield estimation using weather and satellite indicators etc. is adopted, which will help in early assessment of loss.
- Use of smart sampling technique through satellite data for crop cutting experiments by some States has shown increased efficiency in implementation. This will now be universalized.
- The delay by some States in submission of crop yield data will now be suitably addressed using technological solutions.
- Provision has been made for earmarked administrative expenses @ 3% for strengthening the infrastructure and technology for better delivery of the Scheme.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): सर, माननीय मंत्री जी ने एक बार पहले भी सदन में आश्वस्त किया था कि वे आदेश करेंगे कि जो इंश्योरेंस कम्पनियां हैं, वे किसानों को रसीद जारी करेंगी, लेकिन वह आदेश अभी तक नहीं हुआ है।

मैं माननीय मंत्री जी को यह पूछना चाहता हूं कि जो किसानों का लॉस असेसमेंट होता है, उसमें उनको दिक्कत आ रही है। वहां पर जाकर लेखपाल असेसमेंट करता है, लेकिन बाद में अधिकारी उसको कम करा देते हैं। कई केसों में ऐसा देखा गया है कि जब नुकसान का कम्पनसेशन मिलना होता है, तो किसी को 15 `, किसी को 25 ` और किसी को 30 ` मिलता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोटोकॉल प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे कि जो लॉस का असेसमेंट हो, वह transparent हो और किसानों को तत्काल बेस पर सही कम्पनसेशन मिल सके?

श्री कैलाश चौधरी: उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो किसानों के लॉस असेसमेंट के बारे में कहा है, उसके बारे में सरकार ने अभी नई फसल बीमा नीति में संशोधन किया है। उसके अंदर प्रावधान किया गया है कि सेटेलाइट से सर्वे किया जाएगा और जिस तरह से गिरदावरी में पटवारी रिपोर्ट करता है, उन दोनों को मिलाकर उनका match करेंगे और match करने के बाद में दोनों का एक साथ जैसे मेल खाएगा, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। ऐसा करने से जो वास्तविक नुकसान किसान का हुआ है, वह पता चल जाएगा और इससे वास्तविक नुकसान का मूल्य किसान को मिल सकेगा।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, मैंने एक रसीद देने वाली बात पूछी थी।

श्री उपसभापति: रवि प्रकाश जी, दूसरा क्वेश्चन नहीं। आप बैठ जाइए।

श्री कैलाश चौधरी: सर, जो रसीद की बात है, तो आने वाले टाइम में संबंधित कम्पनी को कह दिया जाएगा कि किसान को रसीद मिले। हमने अब कम्पनी को तीन साल के लिए कर दिया है, पहले कम्पनी एक साल के लिए टेंडर करती थी और उसके बाद में उसकी इतनी liability नहीं रहती थी, लेकिन आने वाले समय में कम्पनी इस क्षेत्र के लिए तीन साल के लिए टेंडर करेगी। ऐसा करने से उसकी जवाबदेही भी रहेगी और वह तीन साल तक वहां रहकर किसानों की जो भी समस्याएं हैं, उनको सुनेगी और उन समस्याओं का समाधान भी करेगी।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, through you, I would like to state that Odisha, in the last 20 years, has faced 21 natural disasters. These disasters create havoc on the produce of farmers with farmers being driven to penury season after season. So, instead of a geography based performance to the North-East alone, why not have a 90:10 ratio extended to disaster prone States, in which case it is much more objective and rational?

श्री कैलाश चौधरी: सर, जैसा कि अभी नई फसल बीमा नीति में हमने संशोधन किया है और उसमें पूर्वोत्तर के किसानों के लिए भी व्यवस्था की है। जो फसल का बीमा होता था, उसमें 50-50 परसेंट का शेयर होता था, लेकिन अब सरकार ने उसके अंदर 90 और 10 का रेश्यो रखा है। ऐसा करने से वहां की सरकार को ज्यादा प्रीमियम वहन नहीं करना पड़ेगा। वहां पर इस तरह से सारी व्यवस्था की जाएगी और पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों को इस संबंध में किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका किसानों को लाभ मिलेगा।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं, the Centre has made crop insurance optional for farmers under PMFBI. Why? This can lead to drastic decrease in the number of farmers opting for insurance. What is the Government doing to ensure that providing insurance under the scheme is economically viable to the insurance companies?

श्री कैलाश चौधरी: माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्या ने फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक करने के संबंध में पूछा है। मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि यह पहले से किसानों की डिमांड रही है, समय-समय पर इसके लिए किसान संगठनों ने भी मांग की है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन है, भारतीय किसान संघ है और किसान मोर्चा है। पहले ऐसे होता था कि जिस किसान ने भी ऋण लिया, उसका स्वत: ही बीमा का प्रीमियम कट जाता था। किसानों का कहना था कि हमें इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं है,

लेकिन उसके बावजूद भी उनका प्रीमियम कट जाता है। अब किसानों के लिए इंश्योरेंस को स्वैच्छिक कर दिया है। हमने राज्य सरकारें से भी इस संबंध में पूछा है। कई राज्यों ने स्वयं ही हमारे पास चिट्ठियां भेजीं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तराखंड राज्य है। इन सभी राज्यों ने चिट्ठियां लिखकर कहा है कि इसको स्वैच्छिक कर दिया जाए, इसलिए इसको स्वैच्छिक किया है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो ऋण लेने वाले किसान हैं, जो आज भी इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, अगर ऐसा कोई किसान चाहता है कि मैं अपना इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहता हूं...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief.

श्री कैलाश चौधरी: वह बैंक के अंदर सात दिन पहले तक अपनी चिट्ठी ले जाकर दे सकता है कि वह इससे नहीं जुड़ना चाहता है, तो वह इससे बाहर हो सकता है।

महोदय, जब भविष्य में वह वापस इंश्योरेंस से जुड़ना चाहे, तो बैंक के अंदर चिट्ठी ले जाकर दे दे कि मैं इंश्योरेंस से जुड़ना चाहता हूं, तो उसका स्वत: ही प्रीमियम कटना शुरू हो जाएगा।

श्री उपसभापति: मंत्री जी, please be brief.

श्री कैलाश चौधरी: इसलिए अब यह स्वैच्छिक कर दिया गया है कि जो किसान चाहेगा, उसी का इंश्योरेंस होगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, चूंकि इस स्कीम में 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 50 प्रतिशत राज्य सरकारों का शेयर है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में ऐसे कितने राज्य हैं, जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत अपना 50 प्रतिशत शेयर नहीं दिया है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन राज्यों से उनका शेयर प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, ताकि वे अपना शेयर दें, जिससे उन राज्यों के किसानों को इसका लाभ मिल सके?

श्री कैलाश चौधरी: माननीय उपसभापति महोदय, जिन राज्यों से प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है, हम उनके निरंतर संपर्क में रहते हैं, ताकि उनसे प्रीमियम प्राप्त किया जा सके। ऐसे राज्य जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत अपना शेयर नहीं दिया है वे हैं- मध्य प्रदेश पर लगभग 2,731 करोड़ ` बकाया हैं, जो वहां से आने हैं। यह उनके प्रीमियम का हिस्सा है और इसी प्रकार राजस्थान के ऊपर भी ` 1,482 करोड़ बकाया हैं, जो उनके हिस्से का पैसा है, वह अभी तक नहीं आया है।

महोदय, जैसे ही वह पैसा वहां से आएगा, यहां से हम उसी दिन अपने हिस्से का प्रीमियम रिलीज कर देंगे, जिससे किसानों के क्लेम का भुगतान हो सके।

महोदय, इसी प्रकार यदि मैं अन्य राज्यों के बारे बताऊं, जिनसे प्रीमियम का हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है, तो वे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्णाटक और वैस्ट बंगाल आदि हैं। इस प्रकार ये राज्य वे हैं, जिन पर प्रीमियम बाकी है। हम निरंतर उनके संपर्क में हैं उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे तुरन्त अपने हिस्से का पैसा जमा करें। यह बात हमारे पोर्टल के अंदर भी है कि जैसे ही वे अपने हिस्से का पैसा जमा करेंगे, हम उसी दिन अपने हिस्से का पैसा रिलीज कर देंगे, ताकि किसानों को उनका क्लेम मिल सके।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से भी उन सरकारों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे अपने हिस्से का पैसा तुरन्त जमा करें, ताकि किसानों को उनका क्लेम मिल सके।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): माननीय उपसभापति महोदय, पहले जब फसल बीमा सबके लिए कम्पलसरी था, तो फसल का नुकसान होने पर, उसका क्लेम देने से यह कहकर मना कर दिया जाता था, चूंकि पूरे रीजन के अंदर यह दिक्कत नहीं आई है, इसलिए व्यक्तिगत नुकसान आपको नहीं मिलेगा। जब से स्वैच्छिक बीमा कर दिया गया है, तो यदि किसी पर्टिकुलर किसान के खेत में नुकसान होता है, तो क्या बीमा कंपनियां ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: सुशील कुमार गुप्ता जी, आप कृपया सवाल पूछिए।

श्री सुशील कुमार गुप्ता: महेदय, मेरा यही सवाल है कि क्या बीमा कंपनियां किसान के व्यक्तिगत नुकसान की भरपाई करेंगी?

श्री कैलाश चौधरी: माननीय उपसभापति महोदय, काफी पहले यह था और उस समय पूरे क्षेत्र को नुकसान के लिए आधार माना जाता था, लेकिन अब individual कर दिया गया है। अब किसान अपना क्लेम जब चाहे कर सकता है और उसका आकलन करने के बाद किसान को क्लेम दिया जाएगा।

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परशोत्तम रुपाला): माननीय उसभापति जी, मुझे एक मिनट बोलने का अवसर दीजिए। अभी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा कि individual किसान को बीमा की प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा या नहीं। मैं इस बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब गांव को एक यूनिट बना दिया गया है, अब मंडल और जिला यूनिट नहीं हैं। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए और देश के किसानों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में लास्ट ईयर जो अतिवृष्टि

[श्री परशोत्तम रुपाला]

हुई, उसके कारण वहां से 64 लाख किसानों ने individual claim को दर्ज कराया था। हमने कंपनियों और राज्य सरकार के साथ मिलकर उनके नुकसान का सर्वेक्षण कराया और 4,000 करोड़ ` से ज्यादा रकम महाराष्ट्र के किसानों को भुगतान कराई।

श्री नारायण लाल पंचारिया (राजस्थान): महोदय, मैं राजस्थान के किसानों की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा कि वहां लगातार प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, चाहे वह टिड्डियों का प्रकोप हो या कोई और प्रकार की आपदा हो, जिसके कारण किसान बहुत त्रस्त हैं। जहां तक मैं फसल बीमे की बात करूं, तो राजस्थान के किसानों की स्थिति यह है कि पिछले तीन वर्षों से, वर्ष 2017, 2018 और वर्ष 2019, लगातार तीन वर्षों से किसानों के फसल बीमा का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तीन वर्षों में ऐसे कौन से कारण हुए, जिससे किसानों को अभी तक उनके फसल बीमा का भुगतान नहीं किया गया है? महोदय, इसके साथ-सथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि राजस्थान के किसानों को फसल बीमा का भुगतान कब तक किया जाएगा?

श्री कैलाश चौधरी: माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह बिलकुल सही है कि पिछले तीन सालों से किसानों का फसल बीमा का भुगतान नहीं किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थन सरकार पर, खरीफ फसल का जो बीमा राशि का अंश है, वह लगभग ` 3 करोड़ है, वह वर्ष 2017 का उस पर बाकी है। वर्ष 2018 के ` 82 करोड़ राजस्थान सरकार पर बकाय हैं और रबी की फसल के वर्ष 2019 के भी राजस्थान सरकार पर ` 65 करोड़ बाकी हैं।

2019 में जो खरीफ की फसल है, उसके ` 1,331 करोड़ राज्यांश के बाकी हैं। हां, यह जरूर है कि अभी दो दिन पहले ` 50 करोड़ आए हैं, हमने उन्हें अपने हिस्से के पैसे रिलीज़ कर दिए हैं। यह जो बाकी का लगभग ` 1,300 करोड़ के आस-पास का पैसा है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही राज्य सरकार का पैसा आएगा, हम उनको तुरंत यहां से अपने हिस्से का पैसा रिलीज़ करेंगे, जिससे कि किसान को इसका तुरंत लाभ मिले। हमने राजस्थान सरकार से भी संपर्क किया है, हम उनसे निरंतर बात कर रहे हैं कि अपने राज्य का हिस्सा तुरंत पहुंचाएं। रही बात टिड्डी के नुक़सान की, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमने उसके लिए भी केंद्र से एक टीम गठित की है और जिन जिलों में टिड्डी से आपदा आई थी, वहां पर उसको भेजा है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद अभी बाड़मेर, जालौर के अंदर उनका लगभग ` 31 करोड़ का क्लेम बना है, जो हमने कंपनियों को बता दिया है और पैसा जारी भी करने वाले हैं। इसी तरह से जैसलमेर के जो ` 14.82 करोड़ हैं, वे भी जारी हो जाएंगे। सर, जोधपुर के ` 5 करोड़ हैं। इसी

तरह से बाड़मेर के जो लगभग 3 करोड़ `, 50 लाख ` बनते हैं, हम यह राशि भी तुरंत ही किसानों के खातों में पहुंचा देंगे।

श्री उपसभापति: प्रश्न संख्या 293.

ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि से सहायता प्रदान करना

*293. **श्री अजय प्रताप सिंह**: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में ग्रामीण अवसंरचना विकास हेतु कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण अवसंरचना के विकास हेतु ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) से प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि से मध्य प्रदेश में किए गए ग्रामीण विकास कार्यें का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): (क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए पूरे देश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन (एसपीएमआरएम), प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) आदि का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख) नाबार्ड में वर्ष 1995-96 में स्थापित की गई ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत की गई सहायता का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। (नीचे **देखिए**)

(ग) ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए आरआईडीएफ के माध्यम से राज्यों को 37 पात्र कार्यकलापों के लिए ऋण दिए जाते हैं। इन कार्यकलापों को मुख्यत: तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार हैं: (i) कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र, (ii) सामाजिक क्षेत्र और (iii) ग्रामीण संपर्कत। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश को आरआईडीएफ के तहत नाबार्ड द्वारा प्रदत्त ऋण ट्रेंचों का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।